

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या-1051-औस/2012-11(4)एफ0/86(वो0-111)

दिनांक 13 अप्रैल, 2012

विषय :- लम्बी अवधि तक बाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के विषयगत कार्यालय ज्ञाप संख्या-4075-औस/2011-11(4)एफ0/86(वो0-111), दिनांक 22.12.2011 में यह व्यवस्था की गयी है कि दिनांक 31.12.2011 तक बाह्य रोगी के रूप में हुए उपचार की प्रतिपूर्ति पूर्व में राज्य चिकित्सा परिषद की संस्तुतियों के आधार पर अनुमत्य की जायेगी। शासकीय अधिसूचना दिनांक 20.09.2011 के प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य चिकित्सा परिषद की प्रचलित व्यवस्था को नवम्बर, 2011 में तीसरे बृहस्पतिवार को सम्भावित बैठक की व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जिसकी सूचना पत्रांक इ-7/2011, दिनांक 05.11.2011 द्वारा कारपोरेशन को दी गयी थी।

इस सम्बन्ध में एतद्वारा यह निर्देश दिये जाते हैं कि नवम्बर, 2011 के तीसरे बृहस्पतिवार के पूर्व में बाह्य रोगी के रूप में हुए उपचार की चिकित्सा एवं उपचार हेतु 3 माह पूर्व (90 दिन) पहले से उक्त सन्दर्भित आदेश संख्या-4075-औस/2011-11(4)एफ0/86(वो0-111), दिनांक 22.12.2011 के प्राविधानों के अन्तर्गत औषधियों पर हुये व्यय की चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुमत्य की जायेगी अन्य शर्तें पथान्वत रहेगी।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 1051 औस/2011-11(1)ए0एस0/09-तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- माननीय ऊर्जा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के निजी सचिव।
- 2- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध अपर सचिव।
- 3- निदेशक (वि0प्र0 एवं प्रशा0)/(वितरण)/(वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवम् केरको, कानपुर।
- 5- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
- 6- मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशारी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
- 8- समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 9- समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त), उप मुख्य एवम् वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वित्तन एवम् लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 10- समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवम् लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- ✓ 11- अधिशारी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया संलग्नक चिकित्सालयों की सूची एवम् चिकित्सा दरों को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर लोड करने हेतु।
- 12- महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 13- सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेंट स्टेशन रोड, लखनऊ।
- 14- कट फाइल।

(कौशल चन्द्र सक्सेना)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी